रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 13, 2016/श्रावण 22, 1938
No. 566] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 13, 2016/SRAVANA 22, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2016

सं. 45/2016- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 795(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतदद्वारा, विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.04क के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त प्राधिकार पत्र से संदर्भित किया गया है) के एवज में भारत में आयातित फेब्रिक्स (जिसमें इंटर लाइनिंग भी शामिल है) को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतशिमन जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से सम्बंधित किया गया है) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क के सम्पूर्ण भाग से तथा उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा क्रमशः 3, 8(ख) और 9(क) के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क, रक्षोपाय शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क के सम्पूर्ण भाग से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, यथा :-

(i) कि उक्त प्राधिकार पत्र डेबिट के लिए निकासी के समय यथोचित सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है;

(ii) कि उक्त प्राधिकार पत्र केवल फैब्रिक्स के आयात के लिए है और इसमें निम्नलिखित बातें उल्लिखित हैं,-

(क) यदि प्राधिकार पत्र किसी व्यापारी निर्यातक के नाम से जारी किया गया है तो आयातकर्ता तथा सहायक विनिर्माता का नाम और पता; और

(ख) उस फैब्रिक का विवरण और अन्य विशेषताएं जिनका आयात किया जाना है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों का विवरण, मात्रा और निर्यात मूल्य;

(iii) कि आयात किए जाने वाला फैब्रिक्स प्राधिकार पत्र में दिए गए विवरण और अन्य विशेषताओं (जहां लागु हो) से मेल खाता है और यह विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.12 के अनुसार है तथा इसका मूल्य और मात्रा उक्त प्राधिकार पत्र में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर है;

(iv) कि आयातित फेब्रिक्स के निकासी के समय आयातकर्ता जमानत या प्रतिभूति समेत ऐसा बंधपत्र देता है जो उस रूप तथा उतनी राशि का हो जो कि उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो और जिसके अनुसार वह अपने को इस बात से बचनबद्ध करता हो कि इसमें निहित छूट के रहते हुए, यदि इस अधिसूचना में दी गई किसी शर्त का अनुपालन नहीं हो पाता है तो आयातित सामग्री पर देय शुल्क तथा उक्त सामग्री के निकासी की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से लगने वाले ब्याज की राशि के योग के बराबर की राशि की मांग किए जाने पर अदा करेगा:

बशर्ते कि, किसी व्यापारी निर्यातकर्ता को जारी किए गए उक्त प्राधिकार पत्र के मामले में इस अधिसूचना के अंतर्गत आयातकर्ता के लिए जिस बंधपत्र को भरे जाने की जरूरत है उसको व्यापारी निर्यातकर्ता तथा सहायक विनिर्माता दोनों संयुक्त रूप से भर सकते हैं जिसके अनुसार वे अपने को संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए बचनबद्ध कर सकते हैं।

(v) कि आयात और निर्यात अधिसूचना सं. 16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 01.04.2015 में संलग्न सारणी 2 में उल्लिखित समुद्र पत्तन, एयरपोर्ट या इन्लैण्ट कंटेनर डिपो या भू-सीमा शुल्क केन्द्र के माध्यम से या विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किया जा रहा हो;

बशर्ते कि, सीमा शुल्क आयुक्त विशेष आदेश जारी करके या किसी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो कि वह विनिर्दिष्ट करे किसी अन्य समुद्र पत्तन, एयरपोर्ट, इन्लैण्ट कंटेनर डिपो या अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भू-सीमा केन्द्र से आयात या निर्यात किए जाने के लिए अनुमति दे सकता है;

(vi) कि निर्यात अधिसूचित मानक इनपुट आऊटपुट मानदंडों (एसआईओएन) की शर्तों के अनुसार या ऐसे फैब्रिक्स के लिए निर्धारित पूर्व मानकों के अनुसार ही किया गया हो;

(vii) कि उक्त प्रधिकार पत्र में विनिर्दिष्ट निर्यात दायित्व (मूल्य और मात्रा दोनों के अनुसार) का निर्वहन उक्त प्रधिकार पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई हुई अवधि में किया जाता है जिसकी, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 61 अथवा 62 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों, जिन्हें उक्त प्रधिकार पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है, के वास्तविक निर्यात (जिसमें आयात-पूर्व फैब्रिक्स को वास्तविक रूप से समाविष्ट किया गया है) के माध्यम से क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाए ;

(viii) कि आयातकर्ता निर्यात दायित्व को पूरा किए जाने के लिए निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के 60 दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसके लिए उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, अनुमति दें। उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो के संतुष्टि तक निर्यात दायित्व को पूरा किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है;

(ix) उक्त प्राधिकार पत्र का अंतरण नहीं किया जा सकेगा और न ही उक्त फैब्रिक्स का हस्तांतरण या बिक्री हो सकेगी;

बशर्ते कि उक्त फैब्रिक्स को ऐसी संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अधिसूचनाओं, जिनके तहत ऐसी सामग्री को जॉब वर्क के लिये अंतरण करने की अनुमति होगी, में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन रहते हुए जॉब वर्क के लिये अंतरित किया जा सकता है;

बशर्ते और भी कि जॉब वर्क के लिये किया जाने वाला ऐसा अंतरण अधिसूचनाऔ सं. 32/1999-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 08.07.1999, 33/1999-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 08.07.1999, 39/2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31.07.2001, 56/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14.11.2002, 57/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14.11.2002, 49/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 10.06.2003, 50/2003-

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 10.06.2003, 56/2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25.06.2003, 71/2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 09.09.2003, 8/2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 21.01.2004 और 20/2007- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25.04.2007 की दृष्टि से उत्पाद शुल्क से छूट आधारित क्षेत्रों में स्थित इकाईयों के मामले में लागू नहीं होगा।

2. जहां कि ऐसे फैब्रिक्स को खराब या उपयोग के लायक नहीं पाया जाता है तो उक्त फैब्रिक्स को इसके निकासी के छ: महीने के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि जिसके लिए सीमा शुल्क आयुक्त अनुमति दे और जो कि अगले छ: महीने से अधिक न हो, के भीतर विदेशी आपूर्तिकर्ता को पुन: वापस निर्यात किया जा सकता है :

बशर्ते कि ऐसे वापस निर्यात के समय उप-आयुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क जैसी भी स्थिति हो की संतुष्टि के स्तर तक इस बात की पहचान हो जाए कि यह फैब्रिक्स वही है जिसका कि निर्यात किया गया था

स्पष्टीकरण, – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, -

(1) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय उस विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं. 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है;

(2) ''क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक से अथवा उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से है।

3. यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 2016 से लागू होगी।

[फा. सं. 605/42/2016-डीबीके]

धर्मवीर शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANACE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2016

No. 45/ 2016 – Customs

G.S.R. 795(E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts fabrics (including interlining) imported into India against a valid Special Advance Authorisation (hereinafter referred to as the said authorisation) issued by the Regional Authority in terms of paragraph 4.04A of the Foreign Trade Policy from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and from the whole of the additional duty, safeguard duty and anti-dumping duty leviable thereon, respectively, under sections 3, 8B and 9A of the Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :-

(i) that the said authorisation is produced before the proper officer at the time of clearance for debit;

(ii) that the said authorisation is meant for import of fabric only and bears,-

(a) the name and address of the importer and the supporting manufacturer in cases where the authorisation has been issued to a merchant exporter; and

(b) the description and other specifications of the fabrics to be imported and the description, quantity and value of exports of the product falling under Chapter 61 or 62 of the said First Schedule to the Customs Tariff Act;

(iii) that the fabrics imported corresponds to the description and other specifications (where applicable) mentioned in the authorisation and are in terms of para *4.12* of the Foreign Trade Policy and the value and quantity thereof are within the limits specified in the said authorisation;

(iv) that the importer at the time of clearance of the imported fabric executes a bond with such surety or security and in such Form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification are not complied with, together with interest at the rate of fifteen per cent. per annum from the date of clearance of the said materials:

Provided that in relation to the said authorisation issued to a merchant exporter, the bond required to be executed by the importer in terms of this notification shall be executed jointly by the merchant exporter and the supporting manufacturer binding themselves jointly and severally to comply with the conditions specified in this notification;

(v) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as mentioned in the Table 2 annexed to the Notification No.16/2015 - Customs dated 01.04.2015 or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other Sea-port, Airport, Inland Container Depot or through a Land Customs Station within his jurisdiction;

(vi) that the export is made subject to pre-import condition on the fabrics in terms of notified Standard Input Output Norms (SION) or under prior fixation of norms for fabric only;

(vii) that the export obligation as specified in the said authorisation (both in value and quantity terms) is discharged within the period specified in the said authorisation or within such extended period as may be granted by the Regional Authority through physical exports of products (in which the pre-imported fabric is physically incorporated) falling under Chapter 61 or 62 of the First Schedule to the Customs Tariff Act manufactured in India which are specified in the said authorisation;

(viii) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within a period of sixty days of the expiry of period allowed for fulfillment of export obligation, or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;

(ix) that the said authorisation shall not be transferred and the said fabrics shall not be transferred or sold;

Provided that the said fabrics may be transferred to a job worker for processing subject to complying the conditions specified in the relevant Central Excise notifications permitting transfer of materials for job work;

Provided further that, no such transfer for purposes of job work shall be effected to the units located in areas eligible for area based exemptions from the levy of excise duty in terms of notification Nos. 32/1999-Central Excise dated 08.07.1999, 33/1999-Central Excise dated 08.07.1999, 39/2001- Central Excise dated 31.07.2001, 56/2002-Central Excise dated 14.11.2002, 57/2002- Central Excise dated 14.11.2002, 49/2003- Central Excise dated 10.06.2003, 50/2003- Central Excise dated 10.06.2003, 56/2003- Central Excise dated 25.06.2003, 71/03- Central Excise dated 09.09.2003, 8/2004- Central Excise dated 21.01.2004 and 20/2007- Central Excise dated 25.04.2007.

2. Where the fabrics are found defective or unfit for use, the said fabrics may be re-exported back to the foreign supplier within six months from the date of clearance of the said fabrics or such extended period not exceeding a further period of six months as the Commissioner of Customs may allow:

Provided that at the time of re-export, the fabrics are identified as the same fabric which was imported to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be.

Explanation, – For the purposes of this notification,-

(I) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry issued vide notification No. 01/2015-2020, dated the 1st April 2015 as amended from time to time;

(II) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant an authorisation under the said Act.

3. This notification shall come into force on the 1st day of September, 2016.

[F. No. 605/42/2016-DBK]

RAJ KUMAR Digitally signed by RAJ KUMAR Date: 2016.08.19 15:05:21 +05'30'

DHARMVIR SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.